पत्रावली पेश हुई । वकील उभय पक्ष उपस्थित । बहस अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट पर सुना गया । प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया । प्रार्थीया वकील ने निवेदन किया कि राजस्व ग्राम धनोली तहसील सवाई माधोपुर में स्थित आराजी खसरा नंबर 1944 रकबा 0.13है0,खसरा नंबर 1944/2689 रकबा 0.08है कुल किता दो कुल रकबा 0.21है0की भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज कृषि भूमि खसरा 1945,1946 ,1947 के बीच में स्थित है ।जिसको प्रार्थीया ने एक चक रूप में खेत बना रखा है । न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 7–10–15 को ताफैसला दावे तक यथावत रखा जावे ।

प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया । वकील अप्रार्थीगण संख्या 10व 11 की ओर से प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया । अप्रार्थीगणो द्वारा विवादित भूमि पर भौतिक कब्जा विक्रय पत्र दिनांक 26–8–15 की तिथी से कब्जा होना अंकित किया है । जबकि प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में गांव के मोतवीर 10 व्यक्तियों के शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 9 ने उपस्थित होकर प्रार्थीया के कब्जे के बारे में आपत्ति भी नही की है। प्रार्थीया विधवा महिला महिला है ।

अतः प्रार्थीया के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के तीनो बिन्दू प्रमाणित पाये जाने पर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 11 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि राजस्व ग्राम धनौली तहसील सवाई माधोपुर में स्थित आराजी खसरा नबर 1944 रकबा 0.13है, ख0 नं0 1944/2689 रकबा 0.08है0, कुल किता दो कुल रकबा 0.21है0 के राजस्व रिकार्ड व मौके की ताफैसला वादपत्र यथावत स्थिति बनाये रखें । प्रार्थीया के कब्जे काश्त में किसी तरह की बाधा न तो स्वंय उत्पन्न करे ,न ही दिगर व्यक्ति द्वारा करावें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद पत्र के साथ हमफीता रहे। निर्णय आज दिनांक